

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
(आई०डी०एस० वर्ग)

पत्रांक: 146 / रोड सेफ्टी/2015
सेवा में,

दिनांक- 18/5 /2015

मुख्य अभियन्ता,
.....क्षेत्र,
लो०नि०वि०,

विषय:- मार्ग कार्यों के आगणनों में सड़क सुरक्षा मर्दों में प्राविधानों के सम्बन्ध में निर्देश ।

सन्दर्भ:- प्रमुख अभियन्ता, (विकास) एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक 26/आर०एस०/14, दिनांक-
29/10/14 (छायाप्रति संलग्न) है ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या (सिविल) 295-2012 में पारित सड़क सुरक्षा नीति के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में सन्दर्भित पत्र द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि अब सभी कार्यों के आगणन दो भागों में गठित कर प्रस्तुत किये जाये । जिसका विवरण निम्नांकित है:-

- 1 प्रथम भाग 'अ' में निर्माण कार्य की लागत, कन्टीजेन्सी, अधिष्ठान आदि समस्त प्राविधानों सहित ।
- 2 द्वितीय भाग 'ब' में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित प्राविधानों की लागत, कन्टीजेन्सी, अधिष्ठान आदि समस्त प्राविधानों सहित ।
- 3 आगणन के अन्त में उपरोक्त 'अ' एवं 'ब' के सारांशों सहित महायोग ।

यह महत्वपूर्ण विषय है एवं भारत व प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में समावेशित है । परन्तु अभी भी आगणनों के गठन में उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उक्त निर्देशों को कड़ाई से पालन करते हुए उपरोक्तानुसार ही आगणनों की रचना एवं परीक्षण किया जाए जिससे तदानुसार उच्चाधिकारियों एवं मा० सर्वोच्च न्यायालय को उत्तर प्रेषित किया जा सके । इस कार्यवाही में किसी भी प्रकार की शिथिलता अवर्जनीय है ।

भवदीय,



(ए० के० सिंह)

मुख्य अभियन्ता (मु०-1)

पत्रांक: 146 / रोड सेफ्टी/2015

दिनांक- 18/5/2015

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु वे कृपा अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को समुचित निर्देश निर्गत करे ।

- 1 प्रमुख अभियन्ता, ग्रामीण सड़क, 30प्र० लो०नि०वि०, लखनऊ ।
- 2 प्रमुख अभियन्ता, (परिकल्प एवं नियोजन) 30प्र० लो०नि०वि०, लखनऊ ।
- 3 मुख्य अभियन्ता, (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
- 4 अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लखनऊ ।
- 5 अधिशासी अभियन्ता, नियो०-1/2/टी०एस०डी०/ यातायात-1/2/ बी०डी०डी०-11/ आर०एस०डी०-5, लो०नि०वि०, लखनऊ ।

मुख्य अभियन्ता (मु०-1)